



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
आपराधिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या - 3939/2026

ममता देवी उर्फ ममता गौतम

...प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ

...विरोधी पक्षकार(गण)

प्रार्थिनी (गण) के अधिवक्ता : - सरजू राम, एकलव्य, कु. निर्मला देवी, ममता रावत, शिवम सिंह
विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्तागण श्री उमा शंकर वर्मा और श्री वीरेंद्र पटेल द्वारा दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ग्रहण किया गया।
2. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिये विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. प्रार्थिनी द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र थाना- जेठवारा, जिला - प्रतापगढ़ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के अंतर्गत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80/2026 में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिनी को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन वाद के अनुसार, शिकायतकर्ता का भाई प्रार्थिनी से प्रेम करता था, जो एक शादीशुदा महिला है। प्रार्थिनी के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वास्तव में प्रार्थिनी वैवाहिक समस्या से गुजर रही थी और शिकायतकर्ता का भाई इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहा था। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता के भाई के पास प्रार्थिनी के साथ की कुछ तस्वीरें थीं और जब प्रार्थिनी को पता चला कि वह उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उससे ऐसा न करने का अनुरोध किया, जिस पर उसने प्रार्थिनी को धमकी दी। हालांकि, बाद में उसने आत्महत्या कर ली।

पुरजोर तरीके से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दुष्प्रेरण का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन आपराधिक अभियोजन प्रारंभ कर दिया गया है। अंत में यह तर्क दिया गया कि प्रार्थिनी, जो एक महिला है, का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 13.04.2026 से जेल में बंद है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थिनी जमानत की हकदार है। यह भी कहा गया कि प्रार्थिनी जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी तथा अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगी।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थिनी को जमानत देने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि प्रार्थिनी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं और उसके बाद अन्वेषण प्रारंभ किया गया है। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि शिकायतकर्ता का भाई प्रार्थिनी के साथ लिव-इन-संबंध में था। हालांकि, विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं करते हैं कि प्रार्थिनी एक शादीशुदा महिला है और वह वैवाहिक समस्याओं से गुजर रही थी।

6. प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करने तथा जमानत प्रार्थनापत्र की अंतर्वस्तु, प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों का परिशीलन करने के बाद यह स्पष्ट है कि प्रार्थिनी, जो एक विवाहित महिला है, कुछ समस्याओं का सामना कर रही थी और शिकायतकर्ता का भाई (मृतक) उसके जीवन में आया था तथा उसने सोशल मीडिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर प्रार्थिनी के जीवन से संबंधित कई पोस्ट किए थे। यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थिनी दिनांक 13.04.2026 से जेल में है और अन्वेषण अभी भी जारी है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि प्रार्थिनी जमानत पर रिहा होने की हकदार है।

7. प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

8. प्रार्थिनी - ममता देवी उर्फ ममता गौतम को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80/2026 संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) प्रार्थिनी पर जैसा अपराध करने का आरोप है या संदेह है, वह ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भागीदार नहीं होगा।

(ii) प्रार्थिनी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) प्रार्थिनी इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित हो, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) प्रार्थिनी विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि प्रार्थिनी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और यदि प्रार्थिनी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-क भारतीय दंड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) प्रार्थिनी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारंभ होने (2) आरोप विरचित होने और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में प्रार्थिनी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इस प्रकार की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

9. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विद्वान् अवर न्यायालय जमानत रद्द करने के मामले में समुचित आदेश पारित करने के लिये स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

12 जून, 2026

वीकेएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।